राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग


अधिसूचना

राजस्थान रोटप क्रियानिष्ठा, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9.क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोगहित मे ऐसा, किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि—

1. कलकत्ता (मुद्राक्र) के न्यायालय में इस अधिसूचना की तारीख तक दर्ज एवं विवादाधीन मुद्राक्र प्रकरणों में पक्षकार द्वारा रोटप झुटी पेटे देंगे राशि जमा कराने पर उस राशि पर देय ब्याज एवं शासित मे 100 प्रतिशत रियायत देंगे होंगी।

2. कलकत्ता (मुद्राक्र) द्वारा इस अधिसूचना की तारीख तक निर्णात मामलों में, निर्णय के फलस्वरूप रोटप झुटी पेटे देंगे राशि अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 30 दिनसे की अवधि में जमा करवाई जाती है तो उस राशि पर देय शासित एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत रियायत देंगे होंगी।

3. कलकत्ता (मुद्राक्र) द्वारा इस अधिसूचना की तारीख तक निर्णात मामलों में, निर्णय के फलस्वरूप रोटप झुटी पेटे देंगे राशि अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 30 दिनसे की अवधि में जमा करवाई जाती है तो उस राशि पर देय शासित एवं ब्याज की राशि पर 75 प्रतिशत रियायत देंगे होंगी।

4. कलकत्ता (मुद्राक्र) द्वारा इस अधिसूचना की तारीख तक निर्णात मामलों में, निर्णय के फलस्वरूप रोटप झुटी पेटे देंगे राशि अधिसूचना जारी होने की दिनांक से 60 दिनसे की अवधि में जमा करवाई जाती है तो उस राशि पर देय शासित एवं ब्याज की राशि पर 50 प्रतिशत रियायत देंगे होंगी।

5. राजस्थान कर बोर्ड या किसी न्यायालय में रोटप झुटी के संबंध में विवादाधीन प्रकरणों में यदि पक्षकार प्रकरण withdraw करके रोटप झुटी पेटे देंगे राशि जमा करवाया है तो उस राशि पर देय ब्याज एवं शासित की राशि में बिन्दु संख्या 2, 3 एवं 4 के अनुसार रियायत देंगे होंगी।

उक्त प्रकरण के किसी भी प्रकरण में पूर्व में अदा किये जा चुके रोटप शुल्क, ब्याज व शासित के रूप में भुगतान की हुई किसी अन्य राशि का प्रतिष्ठाय (रिफंड) नहीं होगा।

(सं. प.2(6)वित्त/कर/2014−143)
राज्यपाल के आदेश से,

(भानोद माजुर)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्थान)